22/3/24 ...पेशी पेश ... पी॰ओ॰ साहब अन्य राज्य ... । अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/4/24 को पेश हों।

5/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ... अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता ... ने VT पेश की, जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब व पेश होने ... दिनांक 24/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

24/4/24 पत्रावली पेश ... । पी॰ओ॰ साहब अन्य ... कार्य ... है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हों।

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ... [illegible] ... पेश ... [illegible] ... पत्रावली ... [illegible] ... दफ्तर हो।

r my Adv. Shankar Lal Kumawat

R/EP 20/12/23

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय**
**सांगानेर**

राजस्व प्रार्थना संख्या...118..../2023

विजय सिंह दत्तक पुत्र गणपत सिंह राजपूत जाति राजपूत पता–ग्राम–चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

**प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 रतन देवी पत्नि श्री तुलसीराम जाति कुमावत पता–महावीर पब्लिक स्कूल के पास माल की ढाणी सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना बाबत पत्थरगढी**

**राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम**

महोदय जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1 यह कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर

विजय सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:49 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 118/2023
निर्णय दिनांक : 02.05.2024

. विजय सिंह दत्तक पुत्र गणपत सिंह राजपूत जाति राजपूत पता– ग्राम–चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर रतन देवी पत्नि श्री तुलसीराम जाति कुमावत पता–महावीर पब्लिक स्कूल के पास माल की ढाणी सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 जस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि मि खसरा नम्बर 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर ाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं आराजी खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर वाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है । प्रार्थी ने दिनांक 19–04–2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील [illegible] क/भू.अ. 23/2834/दिनांक 19–04–2023 को आदेश करवाकर ह[illegible] पट[illegible] अर्थात राजस्व कर्मचारीयों से वर्णित भूमि खसरा नं. 21 [illegible] के वक्त आस–पास के सभी खातेदार मौजूद थे तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान कर अवगत करवाया था जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट है । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 पडौसी खातेदारान से किसी प्रकार का वाद विवाद नही करना चाहता है इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

र्थी विधिवत सीमाज्ञान के अनुसरण में वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नं. 21 रकबा 0.04 क्टेयर व खसरा नं. 21/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर के मध्य अपने खसरा नम्बरान 21 ो भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थी एवं पडौसी ातेदारान के मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद पैदा नही हो । प्रार्थीगण दिनांक ‌)–04–2023 को सीमाज्ञान करते समय हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सांगानेर से ावेदन किया कि "मेरी भूमि पर आप द्वारा दर्शायी गई सीमा पर पत्थरगढी करना ाहते है"। तो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सांगानेर ने कहा की पत्थरगढी करवाने नये सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ इस कारण प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष श करना लाजिमी हुआ है । प्रार्थी गरीबन अनपढ काश्तकार है यह चाहता है कि प्रार्थी संख्या 2 या किसी भी पडौसी खातेदारान से किसी प्रकार वाद विवाद नही हो सलिये अपने कृषि भूमि ख० नं. 21 की सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। कृ षे भूमि ग्राम चक कितावजी पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील ांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है इसलिये माननीय न्यायालय को प्रार्थना का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नं. 21/1 रकबा 005 हैक्टेयर के मध्य उक्त खसरा नंम्बरान की भूमि 21 की सीमा पर स्थित वाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के बाबत तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया की उक्त खसरा नम्बर 21 की भूमि की सीमा पर स्थानिय थाने की मदद से पत्थरगढी खातेदारान की में उपस्थिति करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धिप्रकाश जी ने यूटी दी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपस्थित उभयपक्षकारान, अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित [illegible] दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की वाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के बाबत तहसीलदार सांगानेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नं. 21/1 रकबा 005 हैक्टेयर के मध्य उक्त खसरा नंम्बरान की भूमि 21 की सीमा पर स्थित को आदेशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया की उक्त खसरा नम्बर 21 की भूमि की सीमा पर स्थानिय थाने की मदद से पत्थरगढी खातेदारान की में उपस्थिति करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की वाके ग्राम चक कितावती पटवार हल्का पंवालिया भू अभि नि क्षे मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के बाबत तहसीलदार सांगानेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 21 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नं. 21/1 रकबा 005 हैक्टेयर का अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये विधिक नोटिस सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.04.2023 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:49 IST
Reason: SelfAttested